

::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष के शिक्षा अधिकारियों को सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/ नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, निम्न सूची में (कॉलम संख्या- VI में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्रं.सं	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	ISHWAR LAL BAIRWA (RJDA199613022528) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOGADIYAWALA (211360) (08030312805)	BIKANER	01-07- 1963	30-06-2023
02	RAJESH DUTT SHARMA(RJAJ199101001484) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASAN JILELAV (214104) (08200203101)	PALI	02-07- 1963	31-07-2023
03	BAJRANG LAL SWAMI(RJJJ199423009012) Principal & Equivalent	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NO. 1 BIDASAR (400945) (08040707404)	CHURU	13-02- 1964	29-02-2024

उक्त उल्लेखित प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 29.06.2023

क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/ प्रिंसिपल रिटायरमेन्ट/2023-24(अप्रैल-मार्च)/9237
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पारंप्रित किया जाता है कि अपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले।
8. संबंधित संस्थाप्रधान को आदेश की प्रति प्रेषित कर व्यक्तिशः पारंप्रित किया जाता है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.29 22:41:11 IST
Reason: Approved
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)

RajKaj Ref No. : 4121787



::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष के शिक्षा अधिकारियों को सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/ नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, निम्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कार्यिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	RAMAWATAR SHARMA (RJJ199018001175) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHIJURIYA TIWARIYAN (464881) (08120810101)	JAIPUR	13-06-1963	30-06-2023
02	SARLA AGARWAL (RJAL199202007256) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SEMLA KALAN NAGAR BHARATPUR (217011) (08070202802)	BHARATPUR	03-06-1963	30-06-2023
03	BASTI RAM MALANI (RJNA198428013700) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PABOOSAR (219873) (08141207504)	NAGOUR	01-07-1963	30-06-2023
04	ANDA RAM (RJNA199828010221) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDHARA (211378) (08030700803)	BIKANER	02-09-1963	30-09-1963
05	NARENDRA SINGH PRAKASH (RJSK198933007176) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GODARON KI DHANI (227457) (08141203401)	NAGOUR	01-10-1963	30-09-2023
06	KAUSHLYA AGARWAL (RJJO198925006807) Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAORI (220350) (08151008820)	JODHPUR	12-10-1963	31-10-2023

उक्त उल्लेखित प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

29.06.2023

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1.2/ प्रिंसिपल रिटायरमेन्ट/2023-24 (अप्रैल-माई/2023) प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय बीकानेर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

RajKaj Ref No. : 4090475



3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
8. संबंधित संस्थाप्रधान को आदेश की प्रति प्रेषित कर व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Signature valid

Digitally signed by Kanda Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.29 21:38:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4090475



::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष के शिक्षा अधिकारी को अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, निम्न सूची में (कॉलम संख्या- VI में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्रं.सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	PAVAN KUMAR JAIN(RJBN198903009512) Principal & Equivalent	G.S.S.S.BHAGORO KA KHEDEBANSWARA (Present Headquarter Office of Directorate Secondary Education, Rajasthan, Bikaner)	Bikaner	14-08-1963	31-08-2023

श्री पवन कुमार जैन के विरुद्ध सीसीए-16 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही होने के कारण प्रारूप-6 प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/ प्रिंसिपल रिटायरमेन्ट/2023-24(अप्रैल-मार्च)/9237 दिनांक : 29.06.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्थाप्रधान को आदेश की प्रति प्रेषित कर व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.29 21:41:11 IST
Reason: Approved